प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2021

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 857 सन 2020
अनवान :–

1. ओमप्रकाश 2 भूपसिह 3 भागाराम4 भोजाराम5 हरिसिह पि0 अमीलाल उर्फ रामलाल जाति मेधवाल निवासी ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादी

दावा इस्तकरार हक अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
उपस्थित :– श्री नरेन्द्र किशोर अधिवक्ता वादी
निर्णय दिनांक :– 22.11.21

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आश्य का पेश किया की रोही मोजा ललानबास दिखनादा के खाता संख्या 22/25 की कुल 6.7530हैक्ट एवं खाता संख्या 21/26 की कुल 5.8170हैक्ट भूमि वादीगण के नाम दर्ज है

उक्त भूमि मे वादी के पिता का नाम रामलाल दर्ज कर रखा है जबकि वादी के पिता का सही नाम अमीलाल है सहवन से राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय वादी के पिता का नाम गलत तौर से दर्ज किया गया है वादी के पिता का सही नाम अमीलाल है यही नाम सभी दस्तावेजात में दर्ज है।

वादी के सभी दस्तावेजात जैसे भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता फोटो पहचान पत्र , भारत सरकार का आम आदमी का आधार कार्ड , परिवार राशन कार्ड सभी में वादी का नाम अमीलाल दर्ज है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम रामलाल दर्ज किया गया है जो गलत है।

वादी का राजस्व रिकार्ड में नाम गलत तौर से दर्ज होने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी को राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली केसीसी , खाद बीज का ऋण , मुआवजा व अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त नही हो पा रहा है वादी का अन्य किसी सहखातेदार से कोई अनुतोष नही है वादी केवल राजस्व रिकार्ड में अपना नाम संशोधन करवाना चाहता है।

अतः वादी के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाकर रामलाल के स्थान पर अमीलाल संशोधन करने के आदेश फरमावे वादी का वाद डिक्री फरमावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं मजमे आम में ली गई जानकारी के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए नाम संशोधन किया जाना उचित है

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान केम्प कोर्ट में पेश होने पर वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की रोही मोजा ललानबास दिखनादा के खाता संख्या 22/25 की कुल 6.7530हैक्ट एवं खाता संख्या 21/26 की कुल 5.8170हैक्ट भूमि वादीगण के नाम दर्ज है

उक्त भूमि मे वादी के पिता का नाम रामलाल दर्ज कर रखा है जबकि वादी के पिता का सही नाम अमीलाल है सहवन से राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय वादी के पिता का नाम गलत तौर से दर्ज किया गया है वादी के पिता का सही नाम अमीलाल है यही नाम सभी दस्तावेजात में दर्ज है।

वादी के सभी दस्तावेजात जैसे भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता फोटो पहचान पत्र , भारत सरकार का आम आदमी का आधार कार्ड , परिवार राशन कार्ड सभी में वादी का नाम अमीलाल दर्ज है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम रामलाल दर्ज किया गया है जो गलत है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी का राजस्व रिकार्ड में नाम गलत तौर से दर्ज होने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी को राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली केसीसी , खाद

Scanned with CamScanner

बीज का ऋण , मुआवजा व अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त नही हो पा रहा है वादी का अन्य किसी सहखातेदार से कोई अनुतोष नही है वादी केवल राजस्व रिकार्ड में अपना नाम संशोधन करवाना चाहता है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार की रोही मोजा ललानबास दिखनादा के खाता संख्या 22/25 की कुल 6.7530हैक एवं खाता संख्या 21/26 की कुल 5.8170हैक भूमि वादीगण के नाम दर्ज है जिसमें वादी के पिता का नाम रामलाल दर्ज है

वादी का कथन है कि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय अमीलाल के स्थान पर रामलाल दर्ज किया गया है सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के मतदाता पहचान पत्र, आम आदमी का आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, दस्तावेजात सभी में वादी का नाम अमीलाल दर्ज है। वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से वादी के पिता का नाम अमीलाल होना प्रतित होता है सरंपच ग्राम पंचायत के एवं मजमें आम के द्वारा भी वादीगण के पिता के नाम तस्दीक की गई है।

वादी के राजस्व रिकार्ड एवं प्रस्तुत अन्य दस्तावेजात में वादी के नामों में भिन्नता है तहसीलदार राजस्व नोहर के अनुसार वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है साथ ही यदि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाता है तो राज्य सरकार को किसी प्रकार की हानी नही होती है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधित होता है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात . शपथ पत्र/पैरोकार राज की अभिशषा एवं सरंपच ग्राम पंचायत एवं मजमे आम की तस्दीक के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं सरपंच ग्रम पंचायत कानसर के प्रमाण पत्र तथा पैरोकार राज को किसी प्रकार को ऐतराज नही होने के कारण वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मोजा ललानबास दिखनादा के खाता संख्या 22/25 की कुल 6.7530हैक एवं खाता संख्या 21/26 की कुल 5.8170हैक भूमि वादीगण के पिता का नाम रामलाल दर्ज है के स्थान पर अमीलाल उर्फ रामलाल संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकिन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.11.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनुमानगढ)
नोहर
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021
केम्प कोर्ट....ललानाबास दिखनादा.

Scanned with CamScanner

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– सुश्री श्वेता कोचर (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. ओमप्रकाश 2 भूपसिह 3 भागाराम4 भोजाराम5 हरिसिह पि0 अमीलाल उर्फ रामलाल जाति मेघवाल निवासी ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम

1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 857 सन 2020 निर्णय दिनांक–22.11.2021

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021 मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष उभयपक्षो की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्यों के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मोजा ललानबास दिखनादा के खाता संख्या 22/25 की कुल 6.7530हैक एवं खाता संख्या 21/26 की कुल 5.8170हैक भूमि वादीगण के पिता का नाम रामलाल दर्ज है के स्थान पर अमीलाल उर्फ रामलाल संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकिन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 22.11.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021
केम्प कोर्ट...ललानाबास दिखनादा..

Scanned with CamScanner